

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/324

रीवा दिनांक : 15-5-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
काशी महाविद्यालय, शाहपुर,
हनुमना, जिला मऊगंज (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024-2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 19-03-2025 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 8(04)(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र-120सीट।
2.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, जुलाजी, रसायनशास्त्र, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।
3.	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध हिन्दी-60सीट।
4.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध रसायनशास्त्र-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. क्लास रूम की समुचित व्यवस्था करें।
3. पुस्तकालय में मानक पुस्तकों की व्यवस्था करें।
4. प्रयोगशाला को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025-2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)